



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार 28 अगस्त, 2015

भाद्रपद 6, 1937 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-4

संख्या 2045/नौ-4-15-29ज-2012

लखनऊ, 28 अगस्त, 2015

अधिसूचना

प0आ10-528

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) की धारा 112 (क) और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 69-ख के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 540 की उपधारा (2) और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 300 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार पूर्व प्रकाशित सरकारी अधिसूचना संख्या 266/नौ-4-14-29ज-2012, दिनांक 29 जनवरी, 2014 के पश्चात् उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1966 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा (पच्चीसवाँ संशोधन)
नियमावली, 2015

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा (पच्चीसवाँ संशोधन) संशोधन नाम, विस्तार और प्रारम्भ नियमावली, 2015 कही जायेगी।

(2) यह उत्तर प्रदेश में समस्त नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों पर लागू होगी।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 3 का
संशोधन

2-उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1966 में, जिससे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, के नियम 3 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड-(1), (2), (3) तथा (4) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1

विद्यमान खण्ड

(1) उत्तर प्रदेश पालिका प्रशासनिक (प्रवर) सेवा

- 1-नगर निगमों के उपनगर अधिकारी।
- 2-नगर निगमों के सहायक नगर अधिकारी।
- 3-श्रेणी-एक की नगर पालिका परिषदों के अधिशासी अधिकारी।
- 4-श्रेणी-दो की नगर पालिका परिषदों के अधिशासी अधिकारी।
- 5-नगर निगम, कानपुर के अनुभागीय अधिकारी।

(2) उत्तर प्रदेश पालिका प्रशासनिक (अधीनस्थ) सेवा

- 1-श्रेणी-तीन की नगर पालिका परिषदों के अधिशासी अधिकारी।
- 2-श्रेणी-चार की नगर पालिका परिषदों के अधिशासी अधिकारी।
- 3-नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी।

(3) उत्तर प्रदेश पालिका राजस्व (प्रवर) सेवा

- 1-नगर निगमों के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी।
- 2-नगर निगमों के कर निर्धारण अधिकारी।
- 3-श्रेणी-एक की नगर पालिका परिषदों के कर निर्धारण अधिकारी।

(4) उत्तर प्रदेश पालिका राजस्व (अधीनस्थ) सेवा

- 1-नगर निगमों के कर अधीक्षक।
- 2-श्रेणी-दो की नगर पालिका परिषदों के कर निर्धारण अधिकारी।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(1) उत्तर प्रदेश पालिका प्रशासनिक (प्रवर) सेवा

- 1-नगर निगमों के अपर नगर आयुक्त।
- 2-नगर निगमों के संयुक्त नगर आयुक्त।
- 3-नगर निगमों और सिटी बोर्ड के उप नगर आयुक्त।
- 4-नगर निगमों के सहायक नगर आयुक्त।
- 5-श्रेणी-एक की नगर पालिका परिषदों के अधिशासी अधिकारी।

6-श्रेणी-दो की नगर पालिका परिषदों के अधिशासी अधिकारी।

7-नगर निगम, कानपुर के नगर अधिकारी।

(2) उत्तर प्रदेश पालिका प्रशासनिक (अधीनस्थ) सेवा

- 1-श्रेणी-तीन व चार की नगर पालिका परिषदों के अधिशासी अधिकारी श्रेणी-तीन।
- 2-नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी।

(3) उत्तर प्रदेश पालिका राजस्व (प्रवर) सेवा

- 1-नगर निगमों के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी।
- 2-नगर निगमों के कर निर्धारण अधिकारी और श्रेणी-एक की नगर पालिका परिषदों के कर निर्धारण अधिकारी।

(4) उत्तर प्रदेश पालिका राजस्व (अधीनस्थ) सेवा

- 1-नगर निगमों, श्रेणी-एक, श्रेणी-दो एवं श्रेणी-तीन की नगर पालिका परिषदों के अधीक्षक।
- 2-नगर निगमों, श्रेणी-एक, श्रेणी-दो एवं श्रेणी-तीन की नगर पालिका परिषदों के राजस्व निरीक्षक।

स्तम्भ-1

विद्यमान खण्ड

- 3-श्रेणी-एक की नगर पालिका परिषदों के कर अधीक्षक।
- 4-नगर निगमों के सहायक कर अधीक्षक।
- 5-श्रेणी-तीन एवं चार की नगर पालिका परिषदों के कर निर्धारण अधिकारी।
- 6-श्रेणी-एक की नगर पालिका परिषदों के सहायक कर अधीक्षक।
- 7-नगर निगमों के राजस्व/कर निरीक्षक।
- 8-श्रेणी-दो की नगर पालिका परिषदों के कर अधीक्षक।
- 9-श्रेणी-तीन की नगर पालिका परिषदों के कर अधीक्षक।
- 10-श्रेणी-दो की नगर पालिका परिषदों के राजस्व/कर निरीक्षक।
- 11-श्रेणी-तीन की नगर पालिका परिषदों के राजस्व/कर निरीक्षक।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

3-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिया गया अनुसूची-1 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया अनुसूची रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

अनुसूची-1 का संशोधन

स्तम्भ-1

विद्यमान अनुसूची

अनुसूची-1

[नियम-6 (1) (एक) देखिये]

1	2
केन्द्रीयित सेवा का नाम	पद का नाम
उ0प्र0 पालिका प्रशासनिक (प्रवर सेवा)	नगर निगमों के उप नगर अधिकारी
उ0प्र0 पालिका एलोपैथिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा (पुरुष)	नगर निगमों एवं नगर पालिका परिषदों के एलोपैथिक चिकित्सालयों और औषधालयों और संक्रामक रोग चिकित्सालयों के वरिष्ठ चिकित्साधिकारी (पुरुष)

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची

अनुसूची-1

[नियम-6 (1) (एक) देखिये]

1	2
केन्द्रीयित सेवा का नाम	पद का नाम
उत्तर प्रदेश पालिका प्रशासनिक (प्रवर) सेवा	1-नगर निगमों के अपर नगर आयुक्त। 2-नगर निगमों के संयुक्त नगर आयुक्त। 3-नगर निगमों एवं सिटी बोर्ड के उप नगर आयुक्त। 4-श्रेणी-दो की नगर पालिका परिषदों के अधिशासी अधिकारी। 5-नगर निगम कानपुर के नगर अधिकारी।
उत्तर प्रदेश पालिका एलोपैथिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा (पुरुष)	नगर निगमों एवं नगर पालिका परिषदों के एलोपैथिक चिकित्सालयों और औषधालयों और संक्रामक रोग चिकित्सालयों के वरिष्ठ चिकित्साधिकारी (पुरुष)।

स्तम्भ-1 विद्यमान अनुसूची अनुसूची-1 [नियम-6 (1) (एक) देखिये]		स्तम्भ-2 एताद्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची अनुसूची-1 [नियम-6 (1) (एक) देखिये]	
1	2	1	2
केन्द्रीयित सेवा का नाम	पद का नाम	केन्द्रीयित सेवा का नाम	पद का नाम
उ0प्र0 पालिका एलोपैथिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा (महिला)	नगर निगमों एवं नगर पालिका परिषदों के एलोपैथिक चिकित्सालयों/ औषधालयों और संक्रामक रोग चिकित्सालयों के वरिष्ठ चिकित्साधिकारी (महिला)	उत्तर प्रदेश पालिका एलोपैथिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा (महिला)	नगर निगमों एवं नगर पालिका परिषदों के एलोपैथिक चिकित्सालयों/ औषधालयों और संक्रामक रोग चिकित्सालयों के वरिष्ठ चिकित्साधिकारी (महिला)।
उ0प्र0 पालिका आयुर्वेदिक चिकित्सा सेवा	नगर निगमों के (श्रेणी-एक) वैद्य	उत्तर प्रदेश पालिका आयुर्वेदिक चिकित्सा सेवा	नगर निगमों के (श्रेणी-एक) के वैद्य।
उ0प्र0 पालिका यूनानी चिकित्सा सेवा	नगर निगमों के (श्रेणी-एक) हकीम	उत्तर प्रदेश पालिका यूनानी चिकित्सा सेवा	नगर निगमों के (श्रेणी-एक) के हकीम।
उ0प्र0 पालिका होम्योपैथिक सेवा	नगर निगमों के होम्योपैथिक औषधालयों के श्रेणी-एक चिकित्साधिकारी	उत्तर प्रदेश पालिका होम्योपैथिक सेवा	नगर निगमों के होम्योपैथिक औषधालयों के श्रेणी-एक चिकित्साधिकारी।
उ0प्र0 पालिका लोक स्वास्थ्य सेवा	नगर निगमों और नगर पालिका परिषदों के मुख्य सफाई निरीक्षक	उत्तर प्रदेश पालिका लोक स्वास्थ्य सेवा	नगर निगमों और नगर पालिका परिषदों के मुख्य सफाई निरीक्षक।
उ0प्र0 पालिका अभियंत्रण (प्रवर) सेवा	(एक) नगर निगमों के मुख्य अभियंता (दो) नगर निगमों के अधिशासी अभियंता	उत्तर प्रदेश पालिका अभियंत्रण (प्रवर) सेवा	(एक) नगर निगमों के मुख्य अभियंता (दो) नगर निगमों के अधिशासी अभियंता।
उ0प्र0 पालिका यातायात अभियंत्रण सेवा	नगर निगमों के अधिशासी अभियंता (यातायात एवं परिवहन नियोजन)	उत्तर प्रदेश पालिका यातायात अभियंत्रण सेवा	नगर निगमों के अधिशासी अभियंता (यातायात एवं परिवहन नियोजन)।
उ0प्र0 पालिका यांत्रिक अभियंत्रण (प्रवर) सेवा	नगर निगम कानपुर के यांत्रिक अभियंता	उत्तर प्रदेश पालिका यांत्रिक अभियंत्रण (प्रवर) सेवा	नगर निगम कानपुर के यांत्रिक अभियंता।
उ0प्र0 पालिका लेखा परीक्षा (प्रवर) सेवा	नगर निगमों के मुख्य नगर लेखा परीक्षक	उत्तर प्रदेश पालिका लेखा परीक्षा (प्रवर) सेवा	नगर निगमों के मुख्य नगर लेखा परीक्षक।
उ0प्र0 पालिका लिपिक वर्गीय सेवा	(एक) नगर निगम के कार्यालय अधीक्षक (दो) श्रेणी-एक की नगर पालिका परिषदों के प्रधान लिपिक/ कार्यालय अधीक्षक	उत्तर प्रदेश पालिका लिपिक वर्गीय सेवा	(एक) नगर निगम के कार्यालय अधीक्षक। (दो) श्रेणी-एक की नगर पालिका परिषदों के प्रधान लिपिक/ कार्यालय अधीक्षक।

स्तम्भ-1 विद्यमान अनुसूची अनुसूची-1 [नियम-6 (1) (एक) देखिये]		स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची अनुसूची-1 [नियम-6 (1) (एक) देखिये]	
1	2	1	2
केन्द्रीयित सेवा का नाम	पद का नाम	केन्द्रीयित सेवा का नाम	पद का नाम
उ0प्र0 पालिका प्रशासनिक (अधीनस्थ) सेवा	श्रेणी-चार की नगर पालिका परिषदों के अधिशासी अधिकारी	उत्तर प्रदेश पालिका प्रशासनिक (अधीनस्थ) सेवा	श्रेणी-तीन एवं चार की नगर पालिका परिषदों के अधिशासी अधिकारी श्रेणी-3
उ0प्र0 पालिका राजस्व (अधीनस्थ) सेवा	श्रेणी-तीन की नगर पालिका परिषदों के राजस्व और कर निरीक्षक	उत्तर प्रदेश पालिका राजस्व (अधीनस्थ) सेवा	नगर निगम का मुख्य कर निधारण। नगर निगमों और श्रेणी-एक, दो, तीन की नगर पालिका परिषदों के अधीक्षक।

4-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दी गयी अनुसूची-2 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दी गयी अनुसूची रख दी जायेगी, अर्थात्:-

स्तम्भ-1 विद्यमान अनुसूची अनुसूची-2 [नियम-6 (1) (दो) देखिये]		स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची अनुसूची-2 [नियम-6 (1) (दो) देखिये]	
1	2	1	2
केन्द्रीयित सेवा का नाम	पद का नाम	केन्द्रीयित सेवा का नाम	पद का नाम
उ0प्र0 पालिका एलोपैथिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा (पुरुष)	नगर निगमों एवं नगर पालिका परिषदों के एलोपैथिक चिकित्सालयों और औषधालयों और संक्रामक रोग चिकित्सालयों के श्रेणी-दो के चिकित्साधिकारी (पुरुष)	उत्तर प्रदेश पालिका प्रशासनिक (अधीनस्थ) सेवा	नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी।
उ0प्र0 पालिका एलोपैथिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा (महिला)	नगर निगमों एवं नगर पालिका परिषदों के एलोपैथिक चिकित्सालयों शिशु प्रसूति और बाल कल्याण एवं परिवार नियोजन केन्द्रों के श्रेणी-दो के चिकित्साधिकारी (महिला)।	उत्तर प्रदेश पालिका एलोपैथिक चिकित्सा सेवा (महिला)	नगर निगमों एवं नगर पालिका परिषदों के एलोपैथिक चिकित्सालयों और औषधालयों और संक्रामक रोग चिकित्सालयों के श्रेणी-दो के चिकित्साधिकारी (पुरुष)।
उ0प्र0 पालिका आयुर्वेदिक चिकित्सा सेवा	नगर निगमों के (श्रेणी-दो) वैद्य	उत्तर प्रदेश पालिका आयुर्वेदिक चिकित्सा सेवा	नगर निगमों के (श्रेणी-दो) के वैद्य।

स्तम्भ-1
विद्यमान अनुसूची
अनुसूची-2

[नियम-6 (1) (दो) देखिये]

1	2
केन्द्रीयित सेवा का नाम	पद का नाम
उ0प्र0 पालिका यूनानी चिकित्सा सेवा	नगर निगमों के (श्रेणी-दो) के हकीम
उ0प्र0 पालिका होम्योपैथिक सेवा	नगर निगमों के होम्योपैथिक औषधालयों के (श्रेणी-दो) के चिकित्साधिकारी
उ0प्र0 पालिका लोक स्वास्थ्य सेवा	नगर निगमों और नगर पालिका परिषदों के सफाई निरीक्षक
उ0प्र0 पालिका पशु चिकित्सा सेवा	(एक) नगर निगमों के (श्रेणी-दो) के सहायक पशु चिकित्सक (दो) श्रेणी-एक और श्रेणी-दो के नगर पालिका परिषदों के (श्रेणी-दो) सहायक पशु चिकित्सक
उ0प्र0 पालिका अभियंत्रण (अधीनस्थ) सेवा	(एक) नगर निगमों एवं नगर पालिका परिषदों के अवर अभियंता, (सिविल, विद्युत, यांत्रिक) (अर्ह) (दो) नगर पंचायतों के अवर अभियंता, (सिविल, विद्युत, यांत्रिक) (अर्ह)
उ0प्र0 पालिका यातायात अभियंत्रण सेवा	नगर निगमों के अवर अभियंता (यातायात एवं परिवहन नियोजन)
उ0प्र0 पालिका तरुपालन (प्रवर) सेवा	कानपुर के लिये तरुपालक
उ0प्र0 पालिका तरुपालन (अधीनस्थ) सेवा	नगर निगमों एवं नगर पालिका परिषदों के उद्यान एवं बाग अधीक्षक
उ0प्र0 पालिका जनसम्पर्क सेवा	नगर निगमों के जन सम्पर्क अधिकारी

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची
अनुसूची-2

[नियम-6 (1) (दो) देखिये]

1	2
केन्द्रीयित सेवा का नाम	पद का नाम
उत्तर प्रदेश पालिका यूनानी चिकित्सा सेवा	नगर निगमों के (श्रेणी-दो) के हकीम।
उत्तर प्रदेश पालिका होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा	नगर निगमों के होम्योपैथिक औषधालयों के (श्रेणी-दो) के चिकित्साधिकारी।
उत्तर प्रदेश पालिका लोक स्वास्थ्य सेवा	नगर निगमों और नगर पालिका परिषदों के सफाई निरीक्षक।
उत्तर प्रदेश पालिका पशु चिकित्सा सेवा	(एक) नगर निगमों के (श्रेणी-दो) के सहायक पशु चिकित्सक। (दो) श्रेणी-एक और श्रेणी-दो के नगर पालिका परिषदों के (श्रेणी-दो) के सहायक पशु चिकित्सक।
उत्तर प्रदेश पालिका अभियंत्रण (अधीनस्थ) सेवा	(एक) नगर निगमों एवं नगर पालिका परिषदों के अवर अभियंता, (सिविल, विद्युत एवं यांत्रिक) (अर्ह)। (दो) नगर पंचायतों के अवर अभियंता, (सिविल, विद्युत एवं यांत्रिक) (अर्ह)।
उत्तर प्रदेश पालिका यातायात अभियंत्रण सेवा	नगर निगमों के अवर अभियंता (यातायात एवं परिवहन नियोजन)।
उत्तर प्रदेश पालिका तरुपालन (प्रवर) सेवा	कानपुर के लिये तरुपालक।
उत्तर प्रदेश पालिका तरुपालन (अधीनस्थ) सेवा	नगर निगमों एवं नगर पालिका परिषदों के उद्यान एवं बाग अधीक्षक।
उत्तर प्रदेश पालिका जनसम्पर्क सेवा	नगर निगमों के जन सम्पर्क अधिकारी।

स्तम्भ-1
विद्यमान अनुसूची
अनुसूची-2

[नियम-6 (1) (दो) देखिये]

1	2
केन्द्रीयित सेवा का नाम	पद का नाम
उ0प्र0 पालिका लिपिक वर्गीय सेवा	श्रेणी-तीन की नगर पालिका परिषदों के प्रधान लिपिक
उ0प्र0 पालिका लेखा (अधीनस्थ) सेवा	श्रेणी-दो के नगर पालिका परिषदों के लेखाकार
उ0प्र0 पालिका लेखा परीक्षा (अधीनस्थ) सेवा	नगर निगमों के सहायक लेखा परीक्षक

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची
अनुसूची-2

[नियम-6 (1) (दो) देखिये]

1	2
केन्द्रीयित सेवा का नाम	पद का नाम
उत्तर प्रदेश पालिका लिपिक वर्गीय सेवा	श्रेणी-तीन की नगर पालिका लिपिक परिषदों के प्रधान लिपिक।
उत्तर प्रदेश पालिका लेखा (अधीनस्थ) सेवा	श्रेणी-दो के नगर पालिका परिषदों के लेखाकार।
उत्तर प्रदेश पालिका लेखा परीक्षा (अधीनस्थ) सेवा	नगर निगमों के सहायक लेखा परीक्षक।
उत्तर प्रदेश राजस्व (अधीनस्थ) सेवा	नगर निगमों, श्रेणी-एक, दो और तीन की नगर पालिका परिषदों के राजस्व निरीक्षक।

5-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दी गयी अनुसूची रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

विद्यमान अनुसूची
अनुसूची-3

[नियम-6 (1) (तीन) देखिये]

1	2
केन्द्रीयित सेवा का नाम	पद का नाम
उ0प्र0 पालिका प्रशासनिक (प्रवर) सेवा	(एक) नगर निगमों के सहायक नगर अधिकारी
	(दो) नगर पालिका परिषदों के श्रेणी-एक के अधिशासी अधिकारी
	(तीन) नगर पालिका परिषदों के श्रेणी-दो के अधिशासी अधिकारी
	(चार) नगर निगम कानपुर के अनुभागीय अधिकारी
उ0प्र0 पालिका प्रशासनिक (अधीनस्थ) सेवा	(एक) नगर पालिका परिषदों के श्रेणी-तीन व चार के अधिशासी अधिकारी
	(दो) नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची
अनुसूची-3

[नियम-6 (1) (तीन) देखिये]

1	2
केन्द्रीयित सेवा का नाम	पद का नाम
उत्तर प्रदेश पालिका प्रशासनिक सेवा	(एक) नगर निगमों के सहायक नगर आयुक्त।
	(दो) श्रेणी-एक के नगर पालिका परिषदों के अधिशासी अधिकारी।

अनुसूची-3 का संशोधन

निकाल दिया गया

स्तम्भ-1 विद्यमान अनुसूची अनुसूची-3 [नियम-6 (1) (तीन) देखिये]		स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची अनुसूची-3 [नियम-6 (1) (तीन) देखिये]	
1	2	1	2
केन्द्रीयित सेवा का नाम	पद का नाम	केन्द्रीयित सेवा का नाम	पद का नाम
उ0प्र0 पालिका राजस्व (प्रवर) सेवा	नगर निगमों एवं नगर पालिका परिषदों के श्रेणी-एक के कर निर्धारण अधिकारी	उत्तर प्रदेश पालिका राजस्व (प्रवर) सेवा	नगर निगमों एवं श्रेणी-एक की नगर पालिका परिषदों के कर निर्धारण अधिकारी।
उ0प्र0 पालिका राजस्व (अधीनस्थ) सेवा	(एक) नगर निगमों के अधीक्षक (दो) श्रेणी-एक की नगर पालिका परिषदों के कर निर्धारण अधिकारी (तीन) श्रेणी-एक की नगर पालिका परिषदों के कर अधीक्षक (चार) नगर निगमों के सहायक कर अधीक्षक (पांच) श्रेणी-तीन एवं चार की नगर पालिका परिषदों के कर निर्धारण अधिकारी (छः) श्रेणी-एक की नगर पालिका परिषदों के सहायक कर अधीक्षक (सात) श्रेणी-दो की नगर पालिका परिषदों के सहायक कर अधीक्षक (आठ) श्रेणी-तीन की नगर पालिका परिषदों के सहायक कर अधीक्षक (नौ) नगर निगमों एवं श्रेणी-एक की नगर पालिका परिषदों के राजस्व एवं कर निरीक्षक (दस) नगर निगमों एवं श्रेणी-दो की नगर पालिका परिषदों के राजस्व एवं कर निरीक्षक	निकाल दिया गया	

स्तम्भ-1 विद्यमान अनुसूची अनुसूची-3 [नियम-6 (1) (तीन) देखिये]		स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची अनुसूची-3 [नियम-6 (1) (तीन) देखिये]	
1	2	1	2
केन्द्रीयित सेवा का नाम	पद का नाम	केन्द्रीयित सेवा का नाम	पद का नाम
उ0प्र0 पालिका एलोपैथिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा (पुरुष)	नगर निगमों एवं नगर पालिका परिषदों के एलोपैथिक चिकित्सालयों और औषधालयों और संक्रामक रोग चिकित्सालयों के श्रेणी-एक चिकित्साधिकारी (पुरुष)	उत्तर प्रदेश पालिका एलोपैथिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा (पुरुष)	नगर निगमों एवं नगर पालिका परिषदों के एलोपैथिक चिकित्सालयों और औषधालयों और संक्रामक रोग चिकित्सालयों के श्रेणी-एक के चिकित्साधिकारी (पुरुष)।
उ0प्र0 पालिका एलोपैथिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा (महिला)	नगर निगमों एवं नगर पालिका परिषदों के एलोपैथिक चिकित्सालयों और औषधालयों प्रसूति एवं शिशु कल्याण और परिवार नियोजन केन्द्रों की श्रेणी-एक चिकित्साधिकारी (महिला)	उत्तर प्रदेश पालिका एलोपैथिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा (महिला)	नगर निगमों एवं नगर पालिका परिषदों के एलोपैथिक चिकित्सालयों/ औषधालयों प्रसूति एवं शिशु कल्याण और परिवार नियोजन केन्द्रों की श्रेणी-एक के चिकित्साधिकारी (महिला)।
उ0प्र0 पालिका पशु चिकित्सा सेवा	(एक) नगर निगमों के श्रेणी-एक के सहायक पशु चिकित्सक (दो) नगर निगमों और श्रेणी-एक एवं दो की नगर पालिका परिषदों के (श्रेणी-दो) के सहायक पशु चिकित्सक	उत्तर प्रदेश पालिका पशु चिकित्सा सेवा	(एक) नगर निगमों के श्रेणी-एक के सहायक पशु चिकित्सक। (दो) नगर निगमों और श्रेणी-एक एवं दो की नगर पालिका परिषदों के (श्रेणी-दो) के सहायक पशु चिकित्सक।
उ0प्र0 पालिका अभियंत्रण (प्रवर) सेवा	(एक) नगर निगमों एवं नगर पालिका परिषदों के सहायक अभियंता (सिविल, विद्युत यांत्रिक या आटोमोबाइल) (दो) नगर निगमों के सहायक अभियंता (यातायात एवं परिवहन नियोजन) (तीन) श्रेणी-एक की नगर पालिका परिषदों के सिविल अभियंता (अर्ह)	उत्तर प्रदेश पालिका अभियंत्रण (प्रवर) सेवा	(एक) नगर निगमों के सहायक अभियंता (सिविल, विद्युत, यांत्रिक या आटोमोबाइल)। (दो) नगर निगमों के सहायक अभियंता (यातायात एवं परिवहन नियोजन)। (तीन) श्रेणी-एक की नगर पालिका परिषदों के सिविल अभियंता (अर्ह)।
उ0प्र0 पालिका लेखा (प्रवर) सेवा	(एक) नगर निगमों के लेखा अधिकारी (दो) नगर निगमों के सहायक लेखा अधिकारी	उत्तर प्रदेश पालिका लेखा (प्रवर) सेवा	(एक) नगर निगमों के लेखा अधिकारी। (दो) नगर निगमों के सहायक लेखा अधिकारी।

स्तम्भ-1 विद्यमान अनुसूची अनुसूची-3 [नियम-6 (1) (तीन) देखिये]		स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित अनुसूची अनुसूची-3 [नियम-6 (1) (तीन) देखिये]	
1	2	1	2
केन्द्रीयित सेवा का नाम	पद का नाम	केन्द्रीयित सेवा का नाम	पद का नाम
उ०प्र० पालिका लेखा (अधीनस्थ) सेवा	(एक) नगर निगमों के लेखाकार (दो) श्रेणी-एक की नगर पालिका परिषदों के लेखाकार	उत्तर प्रदेश पालिका लेखा (अधीनस्थ) सेवा	(एक) नगर निगमों के लेखाकार। (दो) श्रेणी-एक की नगर पालिका परिषदों के लेखाकार।
उ०प्र० पालिका लेखा परीक्षा (अधीनस्थ) सेवा	नगर निगमों के लेखा परीक्षक	उत्तर प्रदेश पालिका लेखा परीक्षा (अधीनस्थ) सेवा	नगर निगमों के लेखा परीक्षक।

आज्ञा से,
श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2045/Nine-4-15-29JA-2012, dated August 28, 2015:

No. 2045/Nine-4-15-29JA-2012

Dated Lucknow, August 28, 2015

IN exercise of the powers under section 112-A of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 (U.P. Act no. II of 1959) and section 69-B of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. II of 1916) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. I of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Palika (Centralized) Services Rules, 1966, after their previous publication in Government notification no. 266/IX-4-15-29JA-2012, dated January 29, 2015 as required under sub-section (2) of section 540 of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959 and sub-section (1) of section 300 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916.

THE UTTAR PRADESH PALIKA (CENTRALIZED) SERVICE (TWENTY FIFTH AMENDMENT) RULES, 2015

Short title, extent
and
commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Palika (Centralized) Services (Twenty-fifth Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall be applicable to all the Municipal Corporations, Municipal Councils and Nagar Panchyats in Uttar Pradesh.

(3) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

2. In the Uttar Pradesh Palika (Centralized) Services Rules, 1966 hereinafter referred to as the said rules in rule 3 for clauses (1)(2)(3) and (4) set out in Column 1 below the clauses as set out in Column 2 shall be *substituted*, namely:-

Amendment of
rule 3

COLUMN-1

Existing Clause

(1) Uttar Pradesh Palika

Administration (Superior) Service:

- (i) Up Nagar Adhikaris of the Corporations,
- (ii) Sahayak Nagar Adhikaris of the Corporation.
- (iii) Executive Officers of Class I Municipal Councils.
- (iv) Executive Officers of Class II Municipal Councils.
- (v) Anubhagiya Adhikaris of the Municipal Corporation of Kanpur.

(2) Uttar Pradesh Palika

Administration (Subordinate) Service:

- (i) Executive Officers of Class III Municipal Councils.
- (ii) Executive Officers of Class IV Municipal Councils.
- (iii) Executive Officers of Nagar Panchayats.

(3) Uttar Pradesh Palika Revenue (Superior) Service:

- (i) Chief Assesment Officers of the Corporations.
- (ii) Assesment Officers of the Corporations.
- (iii) Assesment Officers of the Class I Municipal Councils.

(4) Uttar Pradesh Palika Revenue (Subordinate) Service:

- (i) Tax Superintendents of the Corporation.
- (ii) Assesment Officers of the Class II Municipal Councils.
- (iii) Tax Superintendents of the Class I Municipal Councils.
- (iv) Assesment Tax Superintendents of the Corporation.

COLUMN-2

Clause as hereby substituted

(1) Uttar Pradesh Palika

Administration (Superior) Service:

- (i) Additional Municipal Commissioner of the Corporation.
- (ii) Joint Municipal Commissioner of the Corporation.
- (iii) Deputy Municipal Commissioner of the Corporations and City Board.
- (iv) Assistant Municipal Commissioner of the Corporations.
- (v) Executive Officers of Class I Municipal Councils.
- (vi) Executive Officers of Class II Municipal Councils.
- (vii) Nagar Adhikaris of the Municipal Corporation of Kanpur.

(2) Uttar Pradesh Palika

Administration (Subordinate) Service:

- (i) Executive Officers Class III of Municipal Councils Class III and IV.
- (ii) Executive Officers of Nagar Panchayats.

(3) Uttar Pradesh Palika Revenue (Superior) Service:

- (i) Chief Assesment Officers of the Municipal Corporations.
- (ii) Assesment Officers of the Municipal Corporation and Class I Municipal Councils.

(4) Uttar Pradesh Palika Revenue (Subordinate) Service:

- (i) Superintendents of the Municipal Corporation, Class I, Class II and Class III Municipal Councils.
- (ii) Revenue Tax Inspectors of the Municipal Corporations, Class I, II and class III Municipal Councils.

COLUMN -1*Existing Clause*

(1) Uttar Pradesh Palika

Administration (Superior) Service:

- (v) Assesment Officers of the class III and IV Municipal Councils.
- (vi) Assesment Tax Superintendents of the class I Municipal Councils.
- (vii) Revenue/Tax Inspectors of the Corporations.
- (viii) Tax Superintendents of the class II Municipal Councils.
- (ix) Tax Superintendents of the class III Municipal Councils.
- (x) Revenue/Tax Inspectors of the Class II Municipal Councils.
- (xi) Revenue/Tax Inspectors of the Class III Municipal Councils.

COLUMN -2*Clause as hereby substituted*

(1) Uttar Pradesh Palika Administration

(Superior) Service:

Amendment of
Schedule 1

3. In the said rules as Schedule-1 set out in column-1 below the Schedule set out in column-2 shall be *substituted*, namely:-

COLUMN -1*Existing Schedule*

Schedule-1

[See rule-6 (1) (i)]

1	2
Name of the Centralized Service	Name of the post
U.P. Palika Administrative (Superior) Service.	U.P. Nagar Adhikaris of the Corporations.

COLUMN -2*Schedule as hereby substituted*

Schedule-1

[See rule-6 (1) (i)]

1	2
Name of the Centralized Service	Name of the post
U.P. Palika Administrative (Superior) Service.	(i) Additional Municipal Commissioner of the Corporation.
	(ii) Joint Municipal Commissioner of the Corporations.
	(iii) Deputy Municipal Commissioner of the Corporations and City Board.
	(iv) Executive Officers of Class II Municipal Councils.
	(v) Nagar Adhikaris of Municipal Corporation of Kanpur.

COLUMN -1 Existing Schedule Schedule-1 [See rule-6 (1) (i)]		COLUMN -2 Schedule as hereby substituted Schedule-1 [See rule-6 (1) (i)]	
1	2	1	2
Name of the Centralized Service	Name of the post	Name of the Centralized Service	Name of the post
U. P. Palika Public Allopathic Medical and Health Service (Men) .	Senior Medical Officers (Men) of Allopathic Hospital and Dispensaries and Infectious Diseases Hospitals of the Corporations and Municipal Councils.	U.P. Palika Public opathic Medical and Health Service (Men) .	Senior Medical Officers (Men) of Allopathic Hospitals and Dispensaries and Infectious Diseases Hospitals of the Corporations and Municipal Councils.
U. P. Palika Public Allopathic Medical and Health Service (Women) .	Senior Medical Officers (Women) of Allopathic Hospitals/ Dispensaries and Infectious Diseases Hospitals of the Corporations and Municipal Councils.	U. P. Palika Public Allopathic Medical and Health Service (Women) .	Senior Medical Officers (Women) of Allopathic Hospitals/ Dispensaries and Infectious Diseases Hospitals of the Corporations and Municipal Councils.
U. P. Palika Ayurvedic Chikitsa Service	Vaids (Grade I) of the Corporations.	U. P. Palika Ayurvedic Chikitsa Service	Vaids (Grade I) of Corporations.
U. P. Palika Unani Chikitsa Service	Hakims (Grade I) of the Corporations	U. P. Palika Unani Chikitsa Service	Hakims (Grade I) of the Corporations
U. P. Palika Homoeopathic Service	Medical Officers. Grade I of Homoeopathic Dispensaries of the Corporations.	U. P. Palika Homoeopathic Service	Medical Officers Grade I of Homoeopathic Dispensaries of the Corporations.
U. P. Palika Public Health Service	Chief Sanitary Inspectors of Corporations and Municipal Councils.	U. P. Palika Public Health Service	Chief Sanitary Inspectors of Corporations and Municipal Councils.
U. P. Palika Engineering (Superior) Service.	(i) Chief Engineers of the Corporations. (ii) Executive Engineers of the Corporations.	U. P. Palika Engineering (Superior) Service.	(i) Chief Engineers of the Corporations. (ii) Executive Engineers of the Corporations.
U. P. PalikaTraffic Engineering Service.	Executive Engineers (Traffic and Transportation Planning) of the Corporations.	U. P. Palika Traffic Engineering Service.	Executive Engineers (Traffic and Transportation Planning) of the Corporations.

COLUMN -1 Existing Schedule Schedule-1 [See rule-6 (1) (i)]		COLUMN -2 Schedule as hereby substituted Schedule-1 [See rule-6 (1) (i)]	
1	2	1	2
Name of the Centralized Service	Name of the post	Name of the Centralized Service	Name of the post
U. P. Palika Mechanical Engineering (Superior) Service.	Mechanical Engineering of Municipal Corporations of Kanpur.	U. P. Palika Mechanical Engineering (Superior) Service.	Mechanical Engineering of Municipal Corporations of Kanpur.
U. P. Palika Audit (Superior) Service.	Mukhya Nagar Lekha Parikshaks of the Corporations.	U. P. Palika Audit (Superior) Service.	Mukhya Nagar Lekha Parikshaks of the Corporations.
U. P. Palika Ministerial Service.	(i) Office Superintendents of Corporations (ii) Head Clerks/ Office Superintendents of class I Municipal Councils.	U. P. Palika Ministerial Service.	(i) Office Superintendents of Corporations (ii) Head Clerks/ Office Superintendents of class I Municipal Councils.
U. P. Palika Administrative (Subordinate) Service.	Executive Officers of Class (iv) Municipal Councils.	U. P. Palika Administrative (Subordinate) Service.	Executive Officers of Class (iii) Municipal Councils Class III and IV
U. P. Palika Revenue (Subordinate) Service.	Revenue and Tax Inspectors of Class III Municipal Councils.	U. P. Palika Revenue (Superior) Service.	Chief assessment Officers of Municipal Corporations.
		U. P. Palika Revenue (Subordinate) Service.	Superintendents of Municipal Corporation and Class I, Class II and Class III Municipal Councils.

Amendment of
Schedule II

4. In the said rule, for Schedule-II set out in Column-1 below the Schedule as set out in Column-2 shall be substituted, namely :-

COLUMN -1 Existing Schedule Schedule-II [See rule-6 (1) (ii)]		COLUMN -2 Schedule as hereby substituted Schedule-II [See rule-6 (1) (ii)]	
1	2	1	2
Name of the Centralized Service	Name of the post	Name of the Centralized Service	Name of the post
		U. P. Palika Administrative (Subordinate) Service.	Executive Officers of Nagar Panchyats.

COLUMN -I Existing Schedule Schedule-II [See rule-6 (1) (ii)]		COLUMN -II Schedule as hereby substituted Schedule-II [See rule-6 (1) (ii)]	
1	2	1	2
Name of the Centralized Service	Name of the post	Name of the Centralized Service	Name of the post
U. P. Palika Allopathic Medical and Health Service (Men).	Medical Officers Grade II (Men) of Allopathic Hospitals/ Dispensaries and Infectious Diseases Hospitals of the Corporations and Municipal Councils.	U. P. Palika Allopathic Medical and Health Service (Men)	Medical Officers Grade II (Men) of Allopathic Hospitals/ Dispensaries and Infectious Diseases Hospitals of Corporations and Municipal Councils.
U. P. Palika Allopathic Chikitsa Service (Women)	Medical Officers Grade II (Women) of Allopathic Hospitals and Maternity and Child Welfare and Family Planning Centers of Corporations and Municipal Councils.	U. P. Palika Allopathic Chikitsa Service (Women)	Medical Officers Grade II (Women) of Allopathic Hospitals and Maternity and Child Welfare and Family Planning Centers of Corporations and Municipal Councils.
U. P. Palika Ayurvedic Chikitsa Service	Vaids (Grade II) of Corporations.	U. P. Palika Ayurvedic Chikitsa Service	Vaids (Grade II) of Corporations.
UP Palika Unani Chikitsa Service	Hakims (Grade II) of Corporations.	U. P. Palika Unani Chikitsa Service	Hakims (Grade II) of Corporations.
U. P. Palika Homoeopathic Medical Service	Medical Officers (Grade II) of Homoeopathic Dispensaries of Corporations.	U. P. Palika Homoeopathic Medical Service	Medical Officers (Grade II) of Homoeopathic Dispensaries of Corporations.
U. P. Palika Public Health Service	Sanitary Inspectors of Corporations and Municipal Councils.	U. P. Palika Public Health Service	Sanitary Inspectors of Corporations and Municipal Councils.
U. P. Palika Veterinary Service	(i) Veterinary Assistant Surgeons (Grade II) of Corporations. (ii) Veterinary Assistant Surgeons Grade II of Class I and II Municipal Councils.	U. P. Palika Veterinary Service	(i) Veterinary Assistant Surgeons (Grade II) of Corporations. (ii) Veterinary Assistant Surgeons Grade II of Class I and II Municipal Councils.

COLUMN - I Existing Schedule Schedule-II [See rule-6 (1) (ii)]		COLUMN - II Schedule as hereby substituted Schedule-II [See rule-6 (1) (ii)]	
1	2	1	2
Name of the Centralized Service	Name of the post	Name of the Centralized Service	Name of the post
U. P. Palika Engineering (Subordinate) Service	(i) Junior Engineers (Civil, Electrical and Mechanical) (Qualified) of Corporations and Municipal Councils. (ii) Junior Engineers (Civil, Electrical and Mechanical) (Qualified) of Nagar Panchayats.	U. P. Palika Engineering (Subordinate) Service	(i) Junior Engineers (Civil, Electrical and Mechanical) (Qualified) of Corporations and Municipal Councils. (ii) Junior Engineers (Civil, Electrical and Mechanical) (Qualified) of Nagar Panchayats.
U. P. Palika Traffic Engineering Service	Junior Engineers (Traffic and Transport Planning) of Corporations.	U. P. Palika Traffic Engineering Service	Junior Engineers (Traffic and Transport Planning) of Corporations.
U. P. Palika Arboriculture (Superior) Service.	Arboriculturist, Kanpur.	U. P. Palika Arboriculture (Superior) Service.	Arboriculturist, Kanpur.
U. P. Palika Arboriculture (Subordinate) Service.	Superintendents, Parks and Gardens, Corporations and Municipal Councils.	U. P. Palika Arboriculture (Subordinate) Service.	Superintendents, Parks and Gardens, Corporations and Municipal Councils.
U. P. Palika Public Relations Service	Public Relations officers of Corporations.	U. P. Palika Public Relations Service	Public Relations officers of Corporations.
U. P. Palika Ministerial Service	Head Clerks of Class III Municipal Councils.	U. P. Palika Ministerial Service	Head Clerks of Class III Municipal Councils.
U. P. Palika Accounts (Subordinate) Service	Accountants in Class II Municipal Councils.	U. P. Palika Accounts (Subordinate) Service	Accountants in Class II Municipal Councils.
U. P. Palika Audit (Subordinate) Service	Sahayak Lekha Parikshaks of Corporations.	U. P. Palika Audit (Subordinate) Service	Sahayak Lekha Parikshaks of Corporations.
		U. P. Revenue (Subordinate) Service.	Revenue Inspectors of Municipal Corporations, Class I, II and III Municipal Councils.

5. In the said rule, for the Schedule III set out in Column-1 below the Schedule as set out in Column-2 shall be substituted, namely :-

Amendment of
Schedule III

COLUMN-I Existing Schedule Schedule-III [See rule-6 (1) (iii)]		COLUMN-II Schedule as hereby substituted Schedule-III [See rule-6 (1) (iii)]	
1	2	1	2
Name of the Centralized Service	Name of the post	Name of the Centralized Service	Name of the post
U. P. Palika (Superior) Administrative Service.	Sahayak Nagar Adhikari of Corporations. Executive Officers of Class- I Municipal Councils. Executive Officers of Class- II Municipal Councils. Anubhagiya Adhikari of Corporations of Kanpur.	U. P. Palika (Superior) Administrative Service.	Assistant Municipal Commissioner of the Corporations. Executive Officers of Class- I Municipal Councils.
U. P. Palika (Superior) Administrative Service.	Executive Officers of Class- III & Class-IV Municipal Councils. Executive Officers of Nagar Panchyats.		omitted
U. P. Palika Revenue (Superior) Service.	Assessment Officers of Corporations and Class I Municipal Councils.	U. P. Palika Revenue (Superior) Service.	Assessment Officers of Corporations and Class I Municipal Councils.
U. P. Palika Revenue (Subordinate) Service.	Tax Superintendents of Corporations Assessment Officers of Class I Municipal Councils. Tax Superintendents of Class I Municipal Councils. Assistant Superintendents of Corporations. Assessment Officers of Class III and Class IV Municipal Councils. Assistant Tax Superintendents of Class I Municipal Councils.		omitted

COLUMN-I <i>Existing Schedule</i> Schedule-III [See rule-6 (1) (ii)]		COLUMN-II <i>Schedule as hereby substituted</i> Schedule-III [See rule-6 (1) (ii)]	
1	2	1	2
Name of the Centralized Service	Name of the post	Name of the Centralized Service	Name of the post
	Tax Superintendents of Class II Municipal Councils.		
	Tax Superintendents of Class III Municipal Councils.		
	Revenue/Tax Inspectors of Corporations and Class I Municipals Councils.		
	Revenue/Tax Inspectors of Corporations and Class II Municipals Councils.		
U. P. Palika Allopathic Medical and Health Services (Men).	Medical Officers of Grade I (Men) of Allopathic Hospitals and Dispensaries and Infectious Diseases Hospitals of Corporations and Municipal Councils.	U. P. Palika Allopathic Medical and Health Services (Men).	Medical Officers of Grade I (Men) of Allopathic Hospitals and Dispensaries and Infectious Diseases Hospitals of Corporations and Municipal Councils.
U. P. Palika Allopathic Medical and Health Services (women).	Medical Officers of Grade I (Women) of Allopathic Hospitals and Dispensaries, Maternity and Child Welfare and Family Planning Centers of Corporations and Municipal Councils.	U. P. Palika Allopathic Medical and Health Services (Women).	Medical Officers of Grade I (Women) of Allopathic Hospitals/ Dispensaries, Maternity and Child Welfare and Family Planning Centers of Corporations and Municipal Councils.
U. P. Palika Veterinary Services.	(i) Veterinary Assistant Surgeons (Grade-I) of Corporations.	U. P. Palika Veterinary Services.	(i) Veterinary Assistant Surgeons (Grade-I) of Corporations.

COLUMN -I Existing Schedule Schedule-III [See rule-6 (1) (ii)]		COLUMN -II Schedule as hereby substituted Schedule-III [See rule-6 (1) (ii)]	
1	2	1	2
Name of the Centralized Service	Name of the post	Name of the Centralized Service	Name of the post
	(ii) Veterinary Assistant Surgeons (Grade-II) of Class I and II Municipal Councils.		(ii) Veterinary Assistant Surgeons (Grade-II) of Class I and II Municipal Councils.
U. P. Palika Engineering (Superior) Service.	(i) Assistant Engineers (Civil, Electrical, Mechanical or Automobile) of Corporations.	U. P. Palika Engineering (Superior) Service.	(i) Assistant Engineers (Civil, Electrical, Mechanical or Automobile) of Corporations.
	(ii) Assistant Engineers (Traffic and Transportation Planning) of Corporations.		(ii) Assistant Engineers (Traffic and Transportation Planning) of Corporations.
	(iii) Civil Engineers (Qualified) of Class I Municipal Councils.		(iii) Civil Engineers (Qualified) of Class I Municipal Councils.
U. P. Palika Accounts (Superior) Service.	(i) Lekha Adhikaris of Corporations.	U. P. Palika Accounts (Superior) Service.	(i) Lekha Adhikaris of Corporations.
	(ii) Sahayak Lekha Adhikaris of Corporations.		(ii) Sahayak Lekha Adhikaris of Corporations.
U. P. Palika Accounts (Subordinate) Service.	(i) Accountants of Corporations.	U. P. Palika Accounts (Subordinate) Service.	(i) Accountants of Corporations.
	(ii) Accountants in Class I Municipal Councils.		(ii) Accountants in Class I Municipal Councils.
U. P. Palika Audit (Subordinate) Service.	Lekha Parikshaks of Corporations.	U. P. Palika Audit (Subordinate) Service.	Lekha Parikshaks of Corporations.

By order,
SHREEPRAKASH SINGH,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 452 राजपत्र (हि०)-2015-(1073)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 5 सा० नगर विकास-2015-(1074)-100 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।